उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–124 / 2023

चोपा मांझी बनाम् राज्य एवं शिबु महतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
27/11/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी चोपा मांझी, पिता–स्व० मुंडु मांझी, निवास ग्राम–हरवे, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–10 / 2017–18 चोपा मांझी बनाम शिबु महतो में दिनांक–04.08.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S– 215 C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–हरवे, थाना–माण्डू के खाता संख्या–38, प्लॉट संख्या–62, 68, 137, 207, 154, 277, 289, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 कुल रकवा–8.37 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी वाद संख्या–10 / 2017–18 में दिनांक–04.08.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है। प्रश्नगत वाद मौजा–हरवे के खाता संख्या–38 के अंतर्गत प्लॉट संख्या–62, 68, 137, 207, 154, 277, 289, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 कुल रकवा–8.37 ए० भूमि से संबंधित है। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अपीलकर्ता के मामले का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि भूमि खतियान में चरकू मांझी और अन्य के नाम पर दर्ज है, चोपा मांझी चरकू मांझी का पोता है। वास्तविक तथ्य यह है कि गांव हरवे के खाता संख्या–38 की भूमि जिसका कुल रकवा–8.37 एकड़ है, पिछले सर्वे के दौरान चरकू मांझी और अन्य कॉम संथाल के नाम से खतियान बना। अपीलकर्ता के पूर्वज खाता संख्या–38 की पूरी भूमि रकवा–8.37 ए० पर शांतिपूर्ण कब्जे में थे, विपक्षी ने पिछले 8 से 10 वर्षों से फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेजों के बल पर अपीलकर्ता को हरवे गांव की ऊपर वर्णित खतियानी जमीन से बेदखल कर रखा है। वास्तव में विपक्षी चालाक और धनी व्यक्ति है और इसी बल पर उन्होंने गरीब आदिवासी को बेदखल कर दिया एवं संबंधित जमीन पर दावा कर रहे हैं। अपीलकर्ता के इस तर्क का समर्थन अंचल अधिकारी, माण्डू के प्रतिवेदन से भी होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते का है। विपक्षी का दावा है कि उसके पूर्वज ने	

Scanned with OKEN Scanner

C.N.T Act की धारा–208 B के तहत रेट एक्जीक्यूशन केस संख्या–315/1942–43 के तहत नीलामी बिक्री के जरिए प्रश्नगत भूमि हासिल की है। जिसका लगान निर्धारण उपायुक्त, हजारीबाग के न्यायालय द्वारा किया गया है। जब इस अधिनियम के तहत उपायुक्त द्वारा किसी पट्टे या जोत के संबंध मे बकाया किराए के लिए डिक्री पारित की जाती है, तो डिक्री धारक ऐसे पट्टे या जोत की बिक्री के लिए आवेदन कर सकता है। जिसमे ऐसी भूमि को उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा जो एक आदिवासी या अनुसूचित जाति का सदस्य हो। आदिवासी खाते की भूमि आदिवासी या अनुसूचित जाति के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचा जाएगा। जब तक कि कोई आदिवासी या अनुसूचित जाति का सदस्य ऐसी भूमि के लिए बोली न लगाए बिक्री की घोषणा मे नही हो सकती है। अपीलकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर भी नही दिया है। इसलिए अपीलकर्ता द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ के समक्ष अपना मामला नही रखा गया। निचली अदालत द्वारा पारित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है तथा कानून की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करता है। अपीलार्थी अथवा उसके पूर्वज ने कभी भी किसी भी दस्तावेज के आधार पर खतियानी भूमि को बेचा/हस्तांतरित नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए, निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

मध्यक्षेपक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा–हरवे के खाता संख्या–38 की भूमि चरकू मांझी एवं यदु मांझी के नाम पर दर्ज है। यह भी सत्य है कि यदु मांझी की निःसंतान मृत्यु हो गई तथा यदु मांझी का हिस्सा चरकू मांझी को प्राप्त हुआ। चरकू मांझी का एक मात्र पुत्र है सुरजन मांझी तथा बुधनी नामक पुत्री है। बुधनी का विवाह रूपन मांझी से हुआ है। मुंडा समुदाय में प्रचलित प्रथा के अनुसार दामाद को घरजमाई रखना तथा घरजमाई का दर्जा पुत्र के समान माना जाता है। बुधनी देवी तथा रूपन मांझी सुरजन मांझी के साथ रहने लगे तथा पुत्र के रूप में उनके सभी कार्यों में सहयोग करने लगे। सुरजन मांझी की मृत्यु के पश्चात खाता संख्या–38 मौजा–हरवे की भूमि बुधनी तथा रूपन मांझी को जीवनपर्यंत विरासत में मिली। बुधनी और रूपन की मृत्यु हो गई और वे अपने इकलौते बेटे शनिचर मांझी को छोड़कर चले गए तथा उन्हें अपने माता–पिता और नाना की सारी संपत्ति विरासत में मिली, जिसमें संबंधित भूमि, खेती और उपभोग के साधन शामिल हैं। शनिचर मांझी अपने तीन बेटों सुरेंद्र मांझी, अजय मांझी और विजय मांझी को छोडकर चले गए। अपीलकर्ता एक धोखेबाज व्यक्ति है और एक सुनियोजित साजिश के तहत अपीलकर्ता ने गलत वंशावली प्रस्तुत करते हुए भू–वापसी वाद संख्या–10/2016–17 दायर किया है। अपीलकर्ता का चरकू मांझी से किसी भी तरह का संबंध नहीं है, बल्कि वह हजारीबाग जिले के परेज गांव का निवासी है। मध्यक्षेपक ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़

Scanned with OKEN Scanner

के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया था, परन्तु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ ने अपने आदेश मे हस्तक्षेपकर्ताओ के बारे मे एक शब्द भी नही कहा गया।

उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे तथा मध्यक्षेपक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय मे पारित आदेश को रद्द करने एवं प्रश्नगत भूमि मध्यक्षेपको को दिलाने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता की ओर से दायर अपील ज्ञापन गलत, झूठे, निराधार और मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। वर्तमान अपील विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ द्वारा दिनाक–04.08.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो खाता संख्या–38 के अंतर्गत प्लॉट संख्या–62, 68, 137, 207, 154, 277, 289, 311, 312, 313, 314, 315, 316, और 317 क्षेत्र क्रमश: 25 डी०, 35 डी०, 11 डी०, 46 डी०, 10 डी०, 7 डी०, 51 डी०, 40 डी०, 10 डी०, 6 डी०, 7 डी०, 6 डी०, 70 डी० और 14 डी० कुल रकवा–3.38 एकड भूमि से संबंधित है। जबकि खाता संख्या–38 की भूमि का कुल रकवा–8.37 एकड है। जिसके खतियानी रैयत चरकु माझी है। चरकू मांझी अपने पीछे एक पुत्र छोड गए, जिसका नाम सुरजन मांझी था, जिसे खाता संख्या–38 की भूमि विरासत में मिली और वह उस पर काबिज हो गया तथा वर्ष 1941 तक वह संबंधित भूमि पर काबिज रहा, जिसके बाद दिनांक–03.12.1942 को C.N.T Act 1908 की धारा–208 के तहत विपक्षी के पिता के पक्ष में नीलामी बिक्री की पुष्टि हुई, क्योंकि दर्ज खतियानी रैयत द्वारा लगान का बकाया भुगतान नही किया गया था। लगान का बकाया भुगतान नही करने के कारण पूर्व जमींदार महाराजा कामाख्या नारायण सिंह बहादुर ने सुरजन मांझी के विरुद्ध लगान का मुकदमा दायर किया था और खाता संख्या–38 की रकवा–8.37 एकड़ भूमि को डिक्री की संतुष्टि के लिए नीलामी बिक्री पर रखा गया था। विपक्षी के पिता ने प्रश्नगत भूमि को उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निष्पादित निलाम वाद के माध्यम से दिनांक–03.12.1942 को क्रय किया गया। जिसका लगान निर्धारण वाद संख्या–315/1942–43 के माध्यम से उपसमाहर्ता, हजारीबाग द्वारा करते हुए दिनांक–05.12.1942 को बिक्री प्रमाण–पत्र एवं C.N.T Act की धारा–208 के तहत दर्ज खतियानी रैयत सुरजन मांझी पुत्र चरकू मांझी को बेदखल करते हुए दिनांक–09.02.1943 को दौलत महतो को प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्रदान किया गया। चूंकि दर्ज खतियानी रैयत को C.N.T Act के तहत प्रदान की गई कानूनी प्रक्रिया और C.N.T Act की धारा–46 (4ए) के प्रावधान के अनुसार दिनाक–09.02.1943 से प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर दिया गया है। C.N.T Act की धारा–46 के तहत उपायुक्त द्वारा भू–वापसी के लिए कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे अधिभोगी रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग के हस्तांतरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के भीतर दायर नहीं किया जाता है। लेकिन इस मामले में खतियानी रैयत को दिनांक–09.02.1943 से बेदखल कर दिया गया है, इस प्रकार अपीलकर्ता का मामला सीमा अवधि द्वारा पूरी तरह से वर्जित है और इसमें 74 वर्षों का असामान्य विलंब है। दौलत महतो की मृत्यु उनके पीछे पांच पुत्रों अर्थात् चुरामन महतो, पोखलाल महतो, उमाशंकर महतो, रामाशंकर महतो और शिबू महतो (विपक्षी) को छोड़कर हुई। अपीलार्थी द्वारा चारों भाईयों को छोडकर मात्र शिबु महतो के विरूद्ध भू–वापसी आवेदन दायर किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

जबकि दौलत महतो के पक्ष मे विक्रय प्रमाण–पत्र के अनुसार, जमींदारी प्राप्त होने से पूर्व जमींदारी लगान रसीद दौलत महतो के पक्ष मे निर्गत की गई थी, तथा जमींदारी समाप्ति के पश्चात रकबा–8.37 एकड़ भूमि के लिए लगान रसीद दौलत महतो और चुरामन महतो के नाम से वर्ष 2016–17 तक लगान के भुगतान के विरुद्ध निर्गत की गई। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि धर्मनाथ महतो, प्रेम सागर महतो, जादो महतो, राजेंद्र महतो, संजय कुमार, मुकेश कुमार महतो और शिबू महतो ने खाता–38 के अंतर्गत रकबा–8.37 एकड़ मे से प्लॉट संख्या–203, रकबा–3.83 एकड़ जमीन को दिनांक–03.01.2008 को पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर श्री प्रदीप भारद्वाज के पक्ष में बेच दिया और विक्रेता को उस पर कब्जा दे दिया।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता दर्ज खतियानी रैयत चरकू मांझी का पोता नहीं है, बल्कि वह स्वर्गीय गुड़ू मांझी का पुत्र है, जो ग्राम परेज टोला, मुकुदा बेरा का रैयत है। जिसका प्रमाण विधानसभा–24 माण्डू की मतदाता सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है। जिसमे उसका नाम ग्राम परेज के मतदाता सूची क्रम संख्या–416 पर अंकित है और ग्राम हरवे विधानसभा–24 माण्डू की मतदाता सूची के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है, जिसमें अपीलकर्ता का नाम कहीं भी अंकित नहीं है। वंशावली में अपीलकर्ता चोपा मांझी ने अपने आपको चरकू मांझी का पोता बताया है, जो पूरी तरह से गलत है। वह दर्ज खतियानी रैयत चरकू मांझी का पोता नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि चरकू मांझी अपने पीछे बेटा सुरजन मांझी छोड़ कर मर गए थे, लेकिन वंशावली में उनका नाम नही दिखाया गया है। गुड़ू मांझी चरकू मांझी के बेटे नहीं थे, बल्कि परेज गांव मुकुंदा बेरा के रैयत थे। अपीलकर्ता चोपा मांझी, पुरनी देवी के पति और हरवे गांव, मांझी टोला के कर्मा मांझी के बेटे प्रीतलाल मांझी के दामाद हैं, जो चरकू मांझी के सह–ग्रामीण हैं, जो कि इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। अपीलकर्ता रोहरा माझी का वंशज है जो परेज गांव, टोला मुकुंदा भालू का एक अधिभोगी रैयत है। प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण C.N.T Act के तहत विधिक प्रक्रिया द्वारा विपक्षी के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है। इसलिए अपीलकर्ता का भू–वापसी आवेदन स्वीकार्य व पोषणीय नहीं है। अंचल अधिकारी, माण्डू ने भी अपनी जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि अपीलकर्ता का कब्जा प्रश्नगत भूमि से समाप्त हो गया है। प्रश्नगत भूमि वर्ष 1942–43 से विपक्षी के दखल में है एवं वर्त्तमान जमाबंदी दौलत महतो एवं अन्य के नाम से चल रही है। निचली अदालत द्वारा पारित आदेश न्याय–संगत उचित और कानूनी है तथा इसे रद्द नहीं किया जा सकता।

मध्यक्षेपक ने यह कहते हुए विवादित आवेदन दायर किया है कि अपीलकर्ता (प्रथम पक्ष) एक धोखेबाज व्यक्ति है और एक सुनियोजित साजिश के तहत अपीलकर्ता ने झूठी वंशावली प्रस्तुत करते हुए भू–वापसी वाद संख्या–10/2016–17 दायर किया है। मध्यक्षेपक ने यह भी कहा है कि हरवे गांव का खाता संख्या–38 चरकू मांझी और जादू मांझी के नाम पर दर्ज है और वे रूपन मांझी के वारिस होने के नाते घरजमाई हैं। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को दर्ज खतियानी रैयत का वास्तविक उत्तराधिकारी होने का दावा किया है। मध्यक्षेपक आवेदन में मध्यक्षेपक ने वंशावली तालिका में दर्शाया है कि शनिचर मांझी, बुधनी देवी के पति हैं। मध्यक्षेपक द्वारा काल्पनिक कथन दिया

गया है कि सर्वे में चरकू मांझी तथा जादू मांझी के नाम खतियान में दर्ज थी। जादू मांझी की निःसतान मृत्यु हो गई, इसलिए जादू माझी का हिस्सा चरकू मांझी को मिला। मध्यक्षेपक द्वारा बताया जा रहा है कि सुरजन माझी की एक पुत्री बुधनी थी, जिसका विवाह रूपन मांझी के साथ हुआ था तथा रूपन मांझी खेती–बाडी का कार्य देखने के लिए घरजमाई मे रहता था। मध्यक्षेपक ने बिना किसी सबूत के यह झूठी कहानी गढी है कि रूपन मांझी उक्त सुरजन मांझी के घरजमाई मे रह रहा था। वास्तव मे मध्यक्षेपक ग्राम सुगिया, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ के निवासी है, जिनका नाम उक्त गांव की मतदाता सूची मे दर्ज है। यह पूरी तरह से झूठ है कि मध्यक्षेपक रूपन मांझी के कथित घरजमाई के वंशज है। मध्यक्षेपक के दावे को तर्क के लिए सही मान भी लिया जाए तो भी यह स्थापित कानून है कि आदिवासी श्रेणी के अंतर्गत मांझी जाति के प्रथागत कानून के अनुसार बेटियों/महिलाओं को उत्तराधिकार का कोई अधिकार नही होने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय Sinta Munda & Ors. Vrs. Junathan Munda & Ors. 1968 (1) P.C.J.R 2015 में पारित है।

वास्तव में मध्यक्षेपक आवेदन एक मिली भगत आवेदन है जिसे अपीलकर्ता (प्रथम पक्ष) की मिलीभगत से नीचे के न्यायालय के समक्ष तथा इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है, जब विपक्षी ने अपने लिखित बयान दाखिल करने के पश्चात यह तथ्य उजागर किया कि अपीलकर्ता खतियानी रैयत के वंशज का नहीं है। फलस्वरूप अपीलकर्ता को लगा कि कार्यवाही में सफलता की कोई संभावना नहीं है मध्यक्षेपक को काल्पनिक किरदार के रूप में खड़ा कर दिया गया एवं मध्यक्षेपक आवेदन दायर की गई है। मध्यक्षेपक ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपने दावे को सिद्ध करने के लिए निचली अदालत के समक्ष कोई सबूत नहीं पेश किया है। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में भी मध्यक्षेपक के दावे के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार मध्यक्षेपक आवेदन में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना उचित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी एवं मध्यक्षेपक के आवेदन को अस्वीकृत करने एवं निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बहाल रखने का अनुरोध किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, माण्डू के पत्रांक–2610, दिनांक–13.12.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किय गया है, जिसमें प्रतिवेदित है कि मौजा–हरवे थाना सं०–175 थाना–माण्डू जिला–रामगढ़ के खाता नं०–38 प्लॉट नं०–62 रकवा–0.25 ए०, प्लॉट नं०–68 रकवा–0.35 ए०, प्लॉट नं०–137 रकवा–0.11 ए०, प्लॉट नं०–207 रकवा–0.46 ए०, प्लॉट नं०–154 रकवा–0.10 ए०, प्लॉट नं०–277 रकवा–0.07 ए०, प्लॉट नं०–315 रकवा–0.06 ए०, प्लॉट नं०–316 रकवा–0.70 ए०, प्लॉट नं०–317 रकवा–0.14 ए० रकवा–8.37 ए० भूमि सर्वे खतियान में चरकू मांझी वगै० कौम सौंताल के नाम से रैयती दर्ज है। गैर आदिवासी रैयत को नीलामी द्वारा Rent Execution Case No.-315/1942-43 The court of Rent Execution Deputy Collector, Hazaribag से प्राप्त है। विवादित भूमि का वर्त्तमान स्वरूप परती एवं खेत है। आवेदक कागजात के अनुसार वर्ष 1942–43 से

Scanned with OKEN Scanner

बेदखल है। वर्णित भूमि की जमाबंदी गैर आदिवासी दौलत महतो वगै० के नाम से जमाबंदी दर्ज है, जिसमें रकबा–3.83 ए० भूमि की बिक्री भी की गई है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–46(ए) के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। जिसके आलोक में प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल भू–वापसी वाद में मौजा–हरवे, थाना नं०–175 के खाता संख्या–38 कुल रकबा–8.37 ए० भूमि पर भू–वापसी की कार्रवाई प्रभावी नहीं माना गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी एवं मध्यक्षेपक द्वारा अलग–अलग खतियानी रैयत वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। जबकि विपक्षी को तत्कालिन उपायुक्त के माध्यम से उक्त भूमि निलाम पत्र के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ द्वारा पारित आदेश नियम सगत प्रतीत नही होता है।

उभयपक्षो के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातो एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–हरवे के खाता संख्या–38, प्लॉट संख्या–62, 68, 137, 207, 154, 277, 289, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 कुल रकबा–8.37 ए० भूमि रैयती खाते की भूमि है। अपीलार्थी एवं मध्यक्षेपक द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते प्रश्नगत भूमि पर दावा करते है। दोनो के द्वारा खतियानी रैयत का अलग–अलग वंशावली प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी का कोई साक्ष्य अपीलार्थी एवं मध्यक्षेपक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि विपक्षी के द्वारा तत्कालिन उपायुक्त द्वारा निलाम एवं लगान निर्धारण वाद के आधार पर प्रश्नगत भूमि का दावा किया जा रहा है। अंचल अधिकारी, माण्डू के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत चरकू मांझी वगै० कौम सौताल (आदिवासी) दर्ज है। जिसकी जमाबंदी गैर आदिवासी दौलत महतो वगै० के नाम से दर्ज है। कागजात के अनुसार बेदखली की अवधि 1942–43 है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर भू–वापसी की कार्रवाई प्रभावी नहीं माना गया है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विधि–सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं मध्यक्षेपक आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 29/11/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 29/11/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2025.01.08 17:42:03 +05:30
Location: 192.168.122.197

Scanned with OKEN Scanner